## EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 5208
Dated 4-9-2004

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

( वाणिज्य विभाग )

शुन्द्रि-पत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2004

का.आ. 2165.—भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. सं. 233, तारीख 13 जनवरी, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 31 जनवरी, 2004 के पृष्ठ 420-421 में प्रकाशित, शुष्क मत्स्य निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2003 से संबंधित नियम (1) के उपनियम (1) में "संशोधन नियम, 2003" के स्थान पर, "संशोधन नियम, 2004" पढ़ें।

[फा. सं. 6/5/2000-ईआई एंड ईपी] राज सिंह, निर्देशक (Department of Commerce)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 2004

S. O. 2165.—In the notification of the Government of India in the Minstry of Commerce and Industry number S. O. No. 233 dated the 13th January, 2004, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Subsection (ii) dated the 31st January, 2004 at pages 420-421 relating to the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2003, in rule 1, in sub-rule (1), for "Amendment Rules, 2003" read "Amendment Rules, 2004".

[F. No. 6/5/2000-EI&EP]

RAJ SINGH, Director .

T22 (Motibicontion tile)